रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री राजकुमार चौहान, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन कमांक : OA-IIu/BPL/94/2020
दावा पंजीकरण तिथि : 10-09-2020
आदेशार्थ रखने की तिथि : 30th November, 2023
आदेश तिथि : 20th December, 2023

श्री विनोद कुमार,
पिता श्री बनारस गौतम,
निवासी–ग्राम परसा डेहरिया, पोस्ट–मल्हीपुर,
जिला–श्रावस्ती (उ0प्र0) पिनकोड–271831 .....आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर (म0प्र0) .....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. ---------

प्रतिनिधित्व : श्री अवधेश कुमार मिश्रा, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत, रेस्पांडेन्ट के अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

1. 20 वर्षीय व मजदूरी करने वाले आवेदक ने अपने स्वयं के अनपेक्षित घटना में घायल होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 के सेक्शन–16 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत दावा आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार वह दिनांक 16-06-2019 को अपने चचेरे भाई–ननके कुमार के साथ मुम्बई में काम करने जाने हेतु लखनऊ से लोकमान्य तिलक शिवाजी महाराज स्टेशन तक का दोनों का यात्रा टिकट लेकर पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहा था तथा दिनांक 17-06-2019 को जब ट्रेन विदिशा स्टेशन के पास खेजडा बर्री गेट नंबर–276 के पास से गुजर रही थी तभी आवेदक व सहयात्री गेट के पास वॉशबेसिन के पास खड़े थे तभी चलती ट्रेन का झटका लगने से आवेदक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और गिरने से बांये पैर की तरफ कमर में फ्रेक्चर हो गया. घायल आवेदक को इलाज हेतु 108 एम्बूलेन्स से विदिशा पहुँचाया गया जहॉ से उसे शासकीय हमीदिया अस्पताल, भोपाल रैफर कर दिया गया. घटना के कारण यात्रा हेतु खरीदा गया टिकट गुम हो जाने का अभिवचन आवेदक ने अपने दावा आवेदन में किया है एवं यह भी कहा है कि घटना से फ्रेक्चर के साथ–साथ आवेदक को शरीर में कई जगह चोटें भी आई हैं. अतः उक्त घटना में आई हुई उक्त क्षति के लिए रेस्पाडेन्ट रेलवे प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक ने यह दावा आवेदन स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया है.

निरंतर.....2/पर

20/12/23

2. रेस्पाडेन्ट ने अपने जवाबदावे में आवेदक के टिकट खरीदने, पुष्पक एक्सप्रेस से यात्रा करने एवं घटना से साफ तौर पर इनकार करते हुए यदि सहयात्री आवेदक के साथ था और उसने घटना घटित होते हुए देखी तो निश्चित तौर पर वह आवेदक को गिरने से बचाता, साथ ही न तो आवेदक एवं न ही सहयात्री द्वारा घटना की कोई सूचना रेलवे को दी है इसलिए प्रकरण संदेहस्पाद परिलक्षित होने की आशंका जाहिर की है, वहीं वैधानिक तरीके से की गई अपनी डीआरएम जॉच रिपोर्ट में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर भी यही दोहराते हुए कहा है कि आवेदक के कथनानुसार 12534 पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुम्बई न जाकर मुम्बई से लखनऊ जाती है, साथ ही जीआरपी द्वारा आवेदक के पर्स का घटनास्थल पर गिरने की उचित तरीके से जॉच नहीं की गई, आवेदक के पास यात्रा का कोई टिकट नहीं पाया गया. सहयात्री के बयान के अनुसार आवेदक नींद में गिरा है, जो कि उसकी स्वयं की लापरवाही है. इस आधार पर दावे को व्यय सहित खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट द्वारा की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में रचित गलत इश्यूज के स्थान पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की जाकर इस पर विचार किया जा रहा है :—

1) *Whether the applicant proves that he was a bonafide passenger of the Train in question when the alleged untoward incident occurred ?*

2) *Whether the applicant proves that the alleged untoward incident falls within the meaning of the Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the applicant proves that he has suffered injuries as alleged ?*

4) *Whether the Respondent railway administration is protected under the exemption clause to Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to applicant ?*

5) *Relief & Cost ?*

4. आवेदक ने अपने स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्यों के रूप में *A-1* से लेकर *A-14* तक के दस्तावेज पेश किये हैं. वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जॉच करने वाले अधिकारी श्री संतकुमार शुक्ला, एएसआई/आरपीएफ, विदिशा को शपथपत्र *(RW/1)* के साथ उपस्थित कराया गया है. दोनों ही साक्षियों का प्रति—परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

5. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुनकर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :—

निरंतर.....3/पर

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज कमांक–1 एवं 2 :

6. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. दावा आवेदन में किये गये अभिवचन को ही आवेदक ने स्वयं कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होकर अपने शपथपत्र के पैरा कमांक–4 में कथन किया है कि मै अपना एवं चचेरे भाई का लखनऊ से लोकमान्य तिलक, मुम्बई तक का एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल श्रेणी का यात्रा टिकट लिया था जो कि पर्स में रखा था, घटना के समय पर्स गिर जाने के कारण मेरा यात्रा टिकट एवं उसमें रखे कुछ पैसे भी गिर गये. प्रतिपरीक्षण में भी रेस्पांडेन्ट इससे ऐसा कोई तथ्य प्रगट नहीं करवा पाया है जिससे इस साक्षी के कोर्ट के सम्मुख किये गये सशपथ कथन पर संदेह व्यक्त किया जा सके. रेस्पांडेन्ट के साक्षी–RW/1 द्वारा भी सशपथ कथन किया गया है कि जॉच के दौरान उसने सहयात्री एवं घायल आवेदक के पुलिस को दिये गये कथन (आर–6 और आर–10) संग्रहित किये थे. इन दोनों ही कथनों में घटना दिनांक को लखनऊ से मुम्बई पुष्पक एक्सप्रेस से टिकट लेकर यात्रा करना एवं घटनास्थल पर चलती ट्रेन से गिरने एवं टिकट खो जाने का ही तथ्य अंकित है.

7. दूसरी ओर *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, का अवलोकन किया जाए तो घटनास्थल पर घायल आवेदक को सबसे पहले देखने वाले गेटमेन के बयान से एसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि आवेदक किसी अन्य घटना का शिकार हुआ है. इन सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण पुलिस का रोजनामचा विवरण (आर–8/15 एवं 16) है जिसके अवलोकन से यह साफ जाहिर होता है कि आवेदक घटना के समय सहयात्री के साथ लखनऊ से मुम्बई तक की यात्रा पुष्पक एक्सप्रेस से करते समय घटनास्थल पर चलती ट्रेन से नीचे गिरकर घायल हो गया था, तथा सहयात्री भोपाल से वापिस विदिशा अस्पताल में आया था.

8. इस प्रकार परिस्थितिजन्य हालातों, आवेदक के कोर्ट के सम्मुख किये गये कथन जिसकी पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्यों से पूरी तरह से हो जाने से यही साबित होता है कि घटना के समय आवेदक अपने सहयात्री के साथ पुष्पक एक्सप्रेस में लखनऊ से मुम्बई तक की यात्रा करते समय घटनास्थल पर नींद की वजह से नीचे गिर गया था. चूँकि आवेदक ने सशपथ कोर्ट के सम्मुख टिकट खरीदने एवं घटना से गुम हो जाने का कथन कर बोनाफाइड पैसेन्जर होने का अपना दायित्व पूर्ण कर दिया है, जो रेस्पांडेन्ट की ओर से विपरीत साक्ष्य से खण्ड़ित नहीं हो पाया है, इसलिए आवेदक को माननीय सुप्रीमकोर्ट भारतसंघ वि0 रीनादेवी के पैरा–17.1 Conflict of decisions has been pointed out on the subject. As noticed from the statutory provision, compensation is payable for death or injury of a 'passenger'. In Raj Kumari (supra) referring to the scheme of Railways Act, 1890, it was observed that since travelling without ticket was punishable, the burden was on the railway

निरंतर.....4/पर

administration to prove that passenger was not a bonafide passenger. The Railway Administration has special knowledge whether ticket was issued or not. 1989 Act also has similar provisions being Sections 55 and 137. This view has led to an inference that any person dead or injured found on the railway premises has to be presumed to be a bona fide passenger so as to maintain a claim for compensation. However, Delhi High Court in Gurcharan Singh (supra) held that initial onus to prove death or injury to a bona fide passenger is always on the claimant. However, such onus can shift on Railways if an affidavit of relevant facts is filed by the claimant. A negative onus cannot be placed on the Railways. Onus to prove that the deceased or injured was a bona fide passenger can be discharged even in absence of a ticket if relevant facts are shown that ticket was purchased but it was lost. के साथ–साथ माननीय एमपी हाईकोर्ट, जबलपुर के प्रकरण संख्या–***Misc. Appeal No. 1202 of 2017, decided on 30-01-2023 (Sudhi Batham and another vs. Uol*** के पैरा–6..... *Ticket checkers also travel in the train for the purpose of checking tickets. It is not the case of the respondent that the ticket checker had found the deceased travelling without the valit ticket. No person can enter inside the platform in absence of either travelling ticket or platform ticket*.....में अवधारित न्यायसिध्दान्तों का लाभ दिया जाना अनिवार्य हो जाता है. जहॉ तक रेस्पांडेन्ट का यह तर्क कि आवेदक द्वारा पुष्पक एक्सप्रेस संख्या–12534 का हवाला दिया है जो कि मुम्बई से चलकर लखनऊ की ओर से रात्रि मे घटनास्थल से गुजरती है, को गाड़ी संख्या की सामान्य लापरवाही मानते हुए खारिज किया जाता है, क्योंकि लखनऊ से मुम्बई की ओर पुष्पक एक्सप्रेस से यात्रा करना कई दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित हुआ है एवं आवेदक को भी घायल अवस्था में इसी गाड़ी के गुजरने के बाद पाया गया था.

9. तदनुसार साबित हो जाने से मैं यही अवधारित करता हूँ कि आवेदक ने यह भलीभांति साबित कर दिया है कि घटना के समय वह लखनऊ से मुम्बई तक की यात्रा बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर ही पुष्पक एक्सप्रेस से करते समय घटनास्थल पर अनटुवर्ड इंसीडेन्ट का शिकार हो गया था, चूँकि रेस्पांडेन्ट किसी भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाया है कि घटना के लिए आवेदक की ऐसी कोई अनिवार्य गलती अथवा लापरवाही जिम्मेदार थी, इसलिए आवेदक के साथ जो घटना घटित हुई है, वह *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* के अन्तर्गत बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना थी. अतः इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदक के ही पक्ष में किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–3, 4 एवं 5 :

10. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन तीनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. दावे के साथ पेश किये गये बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्यों, यथा ए–1 से लेकर ए–4 एवं

निरंतर.....5/पर

ए—11 तथा 12 के अनुसार ट्रेन से गिरकर घायल होने पर आवेदक को निकटस्थ विदिशा के जिला चिकित्सालय लाया गया जहॉ पर उसको आई हुई चोटों की एमएलसी की गई थी, जिसमें माथे एवं बांयी जांघ पर पर चोट का घाव के साथ—साथ दोनों ही भौंओं पर चोट आने का अंकन है. बाद में आवेदक को भोपाल के हमीदिया अस्पताल हेतु रैफर कर दिया गया जहॉ पर सिर में आई हुई इंजूरी के लिए उसका सीटी स्कैन भी किया गया. बाद में आवेदक भोपाल के ही केडिया अस्पताल में भर्ती हो गया. इस अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट (ए—12) के अनुसार आवेदक की बांयी जांघ की फीमर हड्डी में फ्रेक्चर कारित हुआ है. इस प्रकार एमएलसी रिपोर्ट एवं डिस्चार्ज टिकट के अनुसार आवेदक के बांयी फीमर हड्डी में आया हुआ फ्रेक्चर *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016 की अनुसूची* के भाग—*III* की मद संख्या-33 में समाहित होती है. आवेदक को दोनों भौओं एवं सिर में आई हुई घाव की चोटें उक्त अनुसूची के बाहर की चोटें हैं. अतः साबित हुई उक्त सूचीबध्द एवं सूची के बाहर की चोटों के लिए आवेदक को निर्धारित प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए आवेदक बांयी फीमर हड्डी में आये हुए फ्रेक्चर की चोट के लिए रूपये *80,000/-* निर्धारित होने एवं अन्य अनुसूची के बाहर की आई हुई चोटों को लिए रूपये *40,000/-* कुल राशि रूपये *1,20,000/-* आवेदक को दिया जाना स्वीकार करता हूँ. इस राशि पर घटना दिनांक *17-06-2019* से वास्तविक भुगतान तिथि तक *09%* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने का आवेदक हकदार है. तदनुसार इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :—

:: आ दे श ::

12. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *1,20,000/- (रूपये एक लाख बीस हजार केवल)* का भुगतान आवेदक *श्री विनोद कुमार आत्मज श्री बनारस गौतम* को करेगा. रेस्पांडेन्ट इस राशि पर घटना दिनांक *17-06-2019* से वास्तविक भुगतान तिथि तक *09%* प्रतिवर्ष की की दर से ब्याज का भी संदाय आवेदक को करेगा.

13. लाभार्थी की 23 वर्ष की उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए आवेदक को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से 20,000/- राशि एवं इस राशि पर संदेय आनुपातिक ब्याज को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको यह तत्काल निकाल सकेगा एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 1,00,000/- एवं इस पर संदेय आनुपातिक ब्याज में से 4,000/- प्रति माह के हिसाब से एक माह से 25 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

14. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ—साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी

निरंतर.....6/पर

अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

15. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

16. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी

17. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

18. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

19. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

20. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा.

21. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

22. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

23. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक,शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए.

24. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन

शेष.....7/पर

आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

25. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

26. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर).

27. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

28. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी.

29. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2677 of 2019; decided on 5th March, 2019* के पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी वि0 जय वीर सिंह* प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है.

30. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

31. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

32. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

33. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

(राजकुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 20th December, 2023 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

(राजकुमार चौहान)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ